सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912

(1912 का अधिनियम संख्यांक 2)[1]

[1 मार्च, 1912]

सहकारी सोसाइटियों से सम्बन्धित विधि का संशोधन करने के लिए अधिनियम

यह समीचीन है कि कृषकों, शिल्पकारों और सीमित साधनों वाले व्यक्तियों के बीच मितव्ययिता और स्वावलम्बन को प्रोत्साहन देने के लिए सहकारी सोसाइटियां बनाना अधिक सुकर किया जाए, तथा उस प्रयोजन के लिए सहकारी सोसाइटियों से सम्बन्धित विधि का संशोधन किया जाए, अतः इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है:—

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 है; तथा

(2) इसका विस्तार [2][उन राज्यक्षेत्रों के सिवाय, जो 1 नवम्बर, 1956 से ठीक पहले भाग ख राज्यों में समाविष्ट थे,] सम्पूर्ण भारत पर है ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,—

(क) "उपविधि" से तत्समय प्रवृत्त रजिस्ट्रीकृत उपविधियां अभिप्रेत हैं और उनके अन्तर्गत उपविधियों का कोई रजिस्ट्रीकृत संशोधन भी है;

(ख) "समिति" से किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी का शासी निकाय अभिप्रेत है जिसे उसके कार्यों का प्रबन्ध सौंपा गया है;

(ग) "सदस्य" के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है, जो किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए दिए जाने वाले आवेदन में सम्मिलित होता है, और ऐसा व्यक्ति भी है जो, उपविधियों और किन्हीं नियमों के अनुसार किए गए रजिस्ट्रीकरण के पश्चात्, सदस्य के रूप में स्वीकृत किया जाता है;

(घ) "अधिकारी" के अन्तर्गत अध्यक्ष, सचिव, कोषपाल, समिति का सदस्य या अन्य ऐसा व्यक्ति आता है जो सोसाइटी के कामकाज के बारे में निदेश देने के लिए नियमों या उपविधियों के अधीन सशक्त है;

[1] इस अधिनियम को सन्थाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन, 1872 (1872 का 3) की धारा 3 के अधीन अधिसूचना द्वारा सन्थाल परगना में प्रवृत्त घोषित किया गया है; बी० एण्ड० ओ० गजट (अंग्रेजी), 1913, भाग 2, पृष्ठ 105 देखिए ।

इसे—

(1) मुम्बई प्रेसिडेन्सी को लागू होने के सम्बन्ध में, बाम्बे कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1925 (1925 का मुम्बई अधिनियम सं० 7) द्वारा;

(2) मद्रास प्रेसिडेन्सी को लागू होने के सम्बन्ध में, मद्रास कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1932 (1932 का मद्रास अधिनियम सं० 6) द्वारा;

(3) बिहार और उड़ीसा को लागू होने के सम्बन्ध में, बी० एण्ड० ओ० कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1935 (1935 का बिहार और उड़ीसा अधिनियम सं० 6) द्वारा;

(4) उड़ीसा को अलग से लागू होने के सम्बन्ध में, उड़ीसा लाज़ रेगुलेशन, 1936 (1936 का 1) द्वारा;

(5) कुर्ग को लागू होने के सम्बन्ध में, कुर्ग कोआपरेटिव सोसाइटीज़ ऐक्ट, 1936 (1936 का कोडगु अधिनियम सं० 2) द्वारा;

(6) कुछ अपवादों सहित, बंगाल को लागू होने के सम्बन्ध में, बंगाल कोआपरेटिव सोसाइटीज़ ऐक्ट, 1940 (1940 का बंगाल अधिनियम सं० 21) द्वारा;

(7) मुम्बई के विदर्भ क्षेत्र को लागू होने के सम्बन्ध में, 1960 के मुम्बई अधिनियम सं० 20 द्वारा;

(8) महाकौशल क्षेत्र को लागू होने के सम्बन्ध में, 1961 के मध्य प्रदेश अधिनियम सं० 17 द्वारा; और

(9) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह राज्यक्षेत्र को लागू होने के सम्बन्ध में, 1973 के विनियम सं० 3 द्वारा,

निरसित किया गया है । इसका,—

(1) उत्तर प्रदेश में कोआपरेटिव सोसाइटीज (अमेंडमेंट) ऐक्ट 1919 (1919 का यू० पी० अधिनियम सं० 3) और कोआपरेटिव सोसाइटीज़ (यू० पी० अमेंटमेंट) ऐक्ट, 1944 (1944 का यू० पी० अधिनियम सं० 1) जैसा कि उसे यू० पी० एक्सपायरिंग लाज़ कन्टिनुएन्स एण्ड अमेंडिंग ऐक्ट, 1948 (1948 का यू० पी० अधिनियम सं० 13) और 1957 के उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 10 द्वारा प्रवृत्त बनाए रखा गया है, संशोधन किया गया है;

(2) मध्य प्रान्त में, कोआपरेटिव सोसाइटीज़ (सेन्ट्रल प्रोविन्सेस अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1930 (1930 मध्य का प्रान्त अधिनियम सं० 7) और मध्य प्रान्त और बरार में निम्नलिखित अधिनियमों द्वारा, जैसा कि उन्हें सी० पी० एण्ड बरार एक्सपायरिंग लाज़ कन्टिनुएन्स एण्ड अमेंडिंग ऐक्ट, 1947 (1947 का मध्य प्रान्त और बरार अधिनियम सं० 48), संशोधन किया गया है:—

(i) सी०पी० एण्ड बरार कोआपरेटिव सोसाइटीज़ (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1940 (1940 का मध्य प्रान्त और बरार अधिनियम सं० 5);

(ii) सी०पी० एण्ड बरार कोआपरेटिव सोसाइटीज़ (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1941 (1941 का मध्य प्रान्त और बरार अधिनियम सं० 6);

(iii) सी०पी० एण्ड बरार कोआपरेटिब सोसाइटीज़ (अमेंटमेंट) एण्ड लिक्विडेटर्स आर्डर्स वैलिडेशन ऐक्ट, 1945 (1945 का मध्य प्रान्त और बरार अधिनियम सं० 10);

(iv) मध्य प्रदेश में 1954 के मध्य प्रदेश अधिनियम सं० 8 द्वारा संशोधन किया गया है

[2] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "भाग ख राज्यों के सिवाय" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ङ) "रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी" से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी जाने वाली सोसाइटी अभिप्रेत है;

(च) "रजिस्ट्रार" से इस अधिनियम के अधीन सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार के कर्तव्यों का पालने करने के लिए नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(छ) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं।

रजिस्ट्रीकरण

3. रजिस्ट्रार—राज्य सरकार किसी व्यक्ति को राज्य या उसके किसी प्रभाग के लिए सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी और ऐसे रजिस्ट्रार की सहायता के लिए व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी, तथा इस अधिनियम के अधीन साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे किन्हीं व्यक्तियों को रजिस्ट्रार की सभी या कोई भी शक्तियां प्रदान कर सकेगी।

4. सोसाइटियां जो रजिस्टर की जा सकती हैं—इसमें इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबन्धों के लिए अधीन रहते हुए, ऐसी सोसाइटी जिसका उद्देश्य सहकारी सिद्धान्तों के अनुसार अपने सदस्यों के आर्थिक हितों की अभिवृद्धि करना है, अथवा उस सोसाइटी के कार्यों को सुकर बनाने के उद्देश्य से स्थापित कोई सोसाइटी, इस अधिनियम के अधीन, सीमित दायित्व सहित या उसके बिना रजिस्टर की जा सकती हैः

परन्तु जब तक कि राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, अन्यथा निर्दिष्ट न करे,—

(1) ऐसी सोसाइटी का, जिसकी सदस्य कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है, दायित्व सीमित होगा;

(2) ऐसी सोसाइटी का, जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों को उधार देने के लिए निधियों का सृजन करना है और जिसके सदस्यों की बहुसंख्या कृषक है, और जिसकी सदस्य कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी नहीं है, दायित्व असीमित होगा।

5. सीमित दायित्व और शेयर पूंजी वाली सोसाइटी के सदस्य के हित पर निर्बन्धन—जहां किसी सोसाइटी के सदस्यों का दायित्व शेयरों द्वारा सीमित हो वहां किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी से भिन्न कोई सदस्य—

(क) सोसाइटी की शेयर-पूंजी के अधिकतम पंचमांश तक, उस पूंजी के उस भाग से, जो नियमों द्वारा विहित किया जाए, अधिक धारण नहीं करेगा; अथवा

(ख) सोसाइटी के शेयरों में एक हजार रुपए से अधिक का कोई हित नहीं रखेगा या उसका दावा नहीं करेगा।

6. रजिस्ट्रीकरण की शर्त—(1) ऐसी कोई सोसाइटी, जो ऐसी सोसाइटी से भिन्न है जिसकी सदस्य रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है, रजिस्टर नहीं की जाएगी यदि उसमें अट्ठारह वर्ष की आयु से अधिक के कम से कम दस व्यक्ति न हों, और जहां सोसाइटी का उद्देश्य अपने सदस्यों को उधार देने के लिए निधियों का सृजन करना है, वहां जब तक कि ऐसे व्यक्ति—

(क) एक ही नगर या गांव में या एक ही वर्ग के गांवों में निवास न करते हों; अथवा

(ख) एक ही जनजाति, वर्ग, जाति या उपजीविका वाले सदस्य न हों, उस दशा को छोड़कर जहां रजिस्ट्रार अन्यथा

निदिष्ट करे।

(2) "लिमिटेड" शब्द इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत एवं सीमित दायित्व वाली प्रत्येक सोसाइटी के नाम का अन्तिम शब्द होगा।

7. कुछ प्रश्नों का विनिश्चय करने की रजिस्ट्रार की शक्ति—जब यह प्रश्न उठता है कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति कृषक है या कृषकेतर है, अथवा कोई व्यक्ति किसी नगर या गांव या किसी वर्ग के गांवों का निवासी है या नहीं अथवा दो या अधिक गांव एक वर्ग में आने वाले समझे जाएंगे या नहीं, अथवा कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट जनजाति, वर्ग, जाति या उपजीविका वाला है या नहीं तो उस प्रश्न का विनिश्चय रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा और वह विनिश्चय अन्तिम होगा।

8. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन—(1) रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकरण के निमित्त आवेदन रजिस्ट्रार को किया जाएगा।

(2) आवेदन पर हस्ताक्षर—

(क) उस सोसाइटी की दशा में, जिसकी सदस्य कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी नहीं है, धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षाओं के अनुसार अर्हित कम से कम दस व्यक्तियों द्वारा किए जाएंगे; तथा

(ख) उस सोसाइटी की दशा में, जिसकी सदस्य कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है, ऐसी प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की ओर से सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किए जाएंगे, और जहां सोसाइटी के सभी सदस्य रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियां नहीं हैं वहां, दस अन्य सदस्यों द्वारा अथवा जब अन्य सदस्य दस से कम हों तो उन सब के द्वारा, किए जाएंगे।

(3) आवेदन के साथ सोसाइटी की प्रस्थापित उपविधियों की एक प्रति संलग्न होगी, और वे व्यक्ति, जिनके द्वारा या जिनकी ओर से ऐसा आवेदन किया जाता है, सोसाइटी के बारे में ऐसी जानकारी देंगे जिसकी रजिस्ट्रार अपेक्षा करे ।

9. रजिस्ट्रीकरण—यदि रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है कि सोसाइटी ने इस अधिनियम के उपबन्धों और नियमों का अनुपालन कर लिया है और उसकी प्रस्थापित उपविधियां अधिनियम के या नियमों के प्रतिकूल नहीं हैं तो यदि वह ठीक समझता है तो, सोसाइटी और उसकी उपविधियां रजिस्टर कर सकेगा ।

10. रजिस्ट्रीकरण का साक्ष्य—जब तक कि यह साबित नहीं कर दिया जाता कि सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उसमें वर्णित सोसाइटी सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत है ।

11. रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की उपविधियों का संशोधन—(1) किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की उपविधियों का कोई संशोधन तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक कि उसे इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर न कराया गया हो, और इस प्रयोजन के लिए संशोधन की एक प्रति रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी ।

(2) यदि रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है कि उपविधियों का कोई संशोधन इस अधिनियम या नियमों के प्रतिकूल नहीं है तो यदि वह समझता है तो, संशोधन को रजिस्टर कर सकेगा ।

(3) जब रजिस्ट्रार किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की उपविधियों के संशोधन को रजिस्टर करता है तब वह सोसाइटी को अपने द्वारा प्रमाणित संशोधन की एक प्रति देगा जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगी कि संशोधन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत है ।

सदस्यों के अधिकार और दायित्व

12. सदस्य द्वारा तब तक अधिकारों का प्रयोग न करना जब तक सम्यक् संदाय नहीं कर दिया जाता—रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी का कोई भी सदस्य, सदस्य के अधिकारों का प्रयोग तब तक नहीं करेगा, जब तक कि उसने सोसाइटी की सदस्यता के लिए ऐसा संदाय नहीं कर दिया है या सोसाइटी में ऐसा हित प्राप्त नहीं कर लिया है जो नियमों या उपविधियों द्वारा विहित किया जाए ।

13. सदस्यों के मत—(1) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के सदस्यों का दायित्व शेयरों द्वारा सीमित नहीं है, वहां प्रत्येक सदस्य का, चाहे पूंजी में उसका हित किसी भी मात्रा में हो, सोसाइटी के कार्यकलाप में सदस्य के रूप में केवल एक मत होगा ।

(2) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के सदस्यों का दायित्व शेयरों द्वारा सीमित है, वहां प्रत्येक सदस्य को उतने मत देने का अधिकार होगा जितने उपविधियों द्वारा विहित किए जाएं ।

(3) रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, जिसने अपनी निधियों का कोई भाग किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के शेयरों में विनिहित किया है, ऐसी अन्य रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी को कार्यकलाप में मतदान के प्रयोजन के लिए अपने सदस्यों में से किसी को परोक्षी नियुक्त कर सकेगी ।

14. शेयर या हित के अन्तरण पर निर्बन्धन—(1) किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की पूंजी में किसी सदस्य के शेयर या हित को, अधिकतम शेयर या हित धारण करने के बारे में ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए अन्तरित या भारित किया जा सकेगा जो इस अधिनियम या नियमों द्वारा विहित की जाएं ।

(2) असीमित दायित्व वाली रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की दशा में, सदस्य अपने द्वारा धारित किसी शेयर का या सोसाइटी की पूंजी में अपने हित या उनके किसी भाग का अन्तरण नहीं करेगा, जब तक कि—

(क) उसने ऐसा शेयर या हित कम से कम एक वर्ष तक धारण नहीं कर लिया है; तथा

(ख) अन्तरण या भारण सोसाइटी को या सोसाइटी के किसी सदस्य को नहीं कर दिया जाता ।

रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों के कर्तव्य

15. सोसाइटियों का पता—प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी का नियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत पता होगा, जिस पर सभी सूचनाएं और संसूचनाएं भेजी जा सकेंगी, और वह उसके प्रत्येक परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को भेजेगी ।

16. अधिनियम, नियमों और उपविधियों की प्रति का निरीक्षण के लिए सुलभ होना—प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी इस अधिनियम तथा सोसाइटी को शासित करने वाले नियमों की और अपनी उपविधियों की एक प्रति अपने पास रखेगी जो सोसाइटी के रजिस्ट्रीकृत पते पर, सभी युक्तियुक्त समयों पर, निःशुल्क निरीक्षण के लिए सुलभ रहेगी ।

17. लेखापरीक्षा—(1) प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार, हर रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की लेखापरीक्षा रजिस्ट्रार करेगा, या अपने साधारण या विशेष आदेश से, इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा कराएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन की लेखापरीक्षा में अतिदेय ऋणों की, यदि कोई हों, परीक्षा तथा सोसाइटी की आस्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन सम्मिलित होगा ।

(3) रजिस्ट्रार, कलक्टर, या रजिस्ट्रार द्वारा, साधारण या विशेष आदेश से, इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत किसी व्यक्ति की पहुंच, सोसाइटी की सभी बहियों, लेखाओं, कागज-पत्रों और प्रतिभूतियों तक सभी युक्तियुक्त समयों पर होगी, और सोसाइटी का प्रत्येक अधिकारी, सोसाइटी के संव्यवहारों और कार्यकरण के बारे में ऐसी जानकारी देगा, जिसकी अपेक्षा ऐसा निरीक्षण करने वाले व्यक्ति द्वारा की जाए ।

रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों के विशेषाधिकार

18. सोसाइटियों का निगमित निकाय होना—सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के फलस्वरूप वह उस नाम से, जिस नाम से वह रजिस्ट्रीकृत है, निगमित निकाय बन जाएगी, तथा उसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी, और उसे सम्पत्ति धारण करने, संविदा करने, वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां संस्थित करने और उनकी प्रतिरक्षा करने तथा ऐसे सभी कार्य करने की शक्तियां होंगी जो उसके गठन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों ।

19. सोसाइटी का पूर्विक दावा—भू-राजस्व के या भू-राजस्व के रूप में वसूल किए जा सकने वाले किसी धन के सम्बन्ध में सरकार के, अथवा लगान या लगान के रूप में वसूल किए जा सकने वाले किसी धन के सम्बन्ध में भू-स्वामी के, पूर्विक दावे के अधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी को, किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य से सोसाइटी को शोध्य बकाया मांग को—

(क) बीज या उर्वरक के प्रदाय के सम्बन्ध में, अथवा बीज या उर्वरक की खरीद के लिए ऐसे सदस्य या व्यक्ति की फसलों या अन्य कृषिक उपज पर धन उधार लेने के संबंध में, उस प्रदाय या ऋण की तारीख से अट्ठारह मास के भीतर किसी भी समय;

(ख) पशुओं, पशुओं के लिए चारे, कृषिक या औद्योगिक औजारों या मशीनरी, या विनिर्माण के लिए कच्चे माल के प्रदाय के सम्बन्ध में, अथवा इस प्रकार प्रदाय की गई या ऐसे किसी उधार में से पूर्णतः या अंशतः खरीदी गई किन्हीं वस्तुओं पर, या इस प्रकार प्रदाय किए गए या खरीदे गए कच्चे माल से विनिर्मित किन्हीं वस्तुओं पर, उन पूर्वकथित वस्तुओं में से किसी वस्तु की खरीद के लिए धन उधार लेने के सम्बन्ध में,

प्रवृत्त कराने का हक अन्य लेनदारों की अपेक्षा पहले होगा ।

20. सदस्य के शेयरों या हित के सम्बन्ध में भार और मुजराई—रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी का, किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य की पूंजी में शेयर या हित पर और उसके निक्षेपों पर, तथा किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य को संदेय किसी लाभांश, बोनस या लाभों पर, किसी ऐसे ऋण के सम्बन्ध में, जो ऐसे सदस्य या भूतपूर्व सदस्य द्वारा सोसाइटी को शोध्य हैं, भार होगा, तथा वह किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के नाम जमा की गई या संदेय किसी राशि को ऐसे ऋण के संदाय में या उस मद्दे मुजरा कर सकेगा ।

21. शेयर या हित का कुर्क न हो सकना—धारा 20 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की पूंजी में किसी सदस्य का शेयर या हित, ऐसे सदस्य द्वारा उपगत किसी ऋण या दायित्व के सम्बन्ध में न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश के अधीन न तो कुर्क किया जा सकेगा और न विक्रय किया जा सकेगा तथा न तो प्रेसिडेन्सी नगर दिवाला अधिनियम, 1909 (1909 का 3) के अधीन शासकीय समुदेशिती, और न ही प्रोविशियल इन्सालवेंसी ऐक्ट, 1907 (1907 का 3)[1] के अधीन रिसीवर, ऐसे शेयर या हित का हकदार होगा और न ही उसे उस पर कोई दावा करने का हक होगा ।

22. सदस्य की मृत्यु पर हित का अन्तरण—(1) किसी सदस्य की मृत्यु पर, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी मृत सदस्य के शेयर या हित को ऐसे व्यक्ति को, जो इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार नामनिर्दिष्ट किया गया है, अथवा यदि इस प्रकार नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति नहीं है तो किसी ऐसे व्यक्ति को, जो सोसाइटी के मृत सदस्य का वारिस या विधिक प्रतिनिधि प्रतीत हो अन्तरित कर सकेगी, अथवा, यथास्थिति, ऐसे नामनिर्देशिती, वारिस या विधिक प्रतिनिधि को उस सदस्य के शेयर या हित के मूल्य की द्योतक राशि, जो नियमों या उपविधियों के अनुसार अभिनिश्चित की गई हो, संदाय कर सकेगी:

परन्तु—

(i) असीमित दायित्व वाली सोसाइटी की दशा में, यथास्थिति, ऐसा नामनिर्देशिती, वारिस या विधिक प्रतिनिधि यह अपेक्षा कर सकेगा कि सोसाइटी उसे मृत सदस्य के शेयर या हित का यथापूर्वोक्त अभिनिश्चित मूल्य संदाय कर दे;

(ii) सीमित दायित्व वाली सोसाइटी की दशा में, सोसाइटी, मृत सदस्य के शेयर या हित को, यथास्थिति, ऐसे नामनिर्देशिती, वारिस या विधिक प्रतिनिधि को, जो सोसाइटी की सदस्यता के लिए नियमों और उपविधियों के अनुसार अर्हित है, अथवा मृत सदस्य की मृत्यु के एक मास के भीतर उसके आवेदन करने पर किसी अन्य सदस्य को, जो आवेदन में विनिर्दिष्ट किया गया है, और जो इस प्रकार अर्हित है, अन्तरित कर सकेगी ।

(2) रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, मृत सदस्य को सोसाइटी द्वारा शोध्य अन्य सभी धन, यथास्थिति, ऐसे नामिनिर्देशिती, वारिस या विधिक प्रतिनिधि को संदाय कर सकेगी ।

(3) इस धारा के उपबन्धों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी द्वारा किए गए सभी अन्तरण और संदाय, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सोसाइटी से की गई किसी मांग के लिए विधिमान्य और प्रभावी होंगे ।

[1] अब प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, 1920 (1920 का 5) देखिए ।

23. भूतपूर्व सदस्य का दायित्व—किसी भूतपूर्व सदस्य का किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के ऋणों के लिए दायित्व उसके सदस्य न रहने की तारीख से दो वर्ष तक बना रहेगा; यह दायित्व उन ऋणों के लिए होगा जब वह सदस्य था ।

24. मृत सदस्य की संपदाओं का दायित्व—मृत सदस्य की संपदा, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के उन ऋणों के लिए, जो उस सदस्य की मृत्यु के समय विद्यमान थे, उसकी मृत्यु से एक वर्ष की अवधि तक दायित्वाधीन बनी रहेगी ।

25. सदस्यों का रजिस्टर—सदस्यों या शेयरों का कोई रजिस्टर या सूची, जो किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी द्वारा रखी गई हो उसमें प्रविष्ट निम्नलिखित विवरणों में से किसी विवरण का प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य होगीः—

(क) वह तारीख, जब किसी व्यक्ति का नाम उस रजिस्टर या सूची में सदस्य के रूप में प्रविष्ट किया गया था;

(ख) वह तारीख, जब ऐसा कोई व्यक्ति सदस्य नहीं रह गया था ।

26. सोसाइटी की पुस्तकों में प्रविष्टियों का सबूत—किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की किसी पुस्तक में, जो कामकाज के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी जाती है, किसी प्रविष्टि की कोई प्रति, यदि वह ऐसी रीति से, जो नियमों द्वारा विहित की जाए, प्रमाणित की गई है तो, किसी वाद या विधिक कार्यवाही में उस प्रविष्टि के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के रूप में ली जाएगी और उसे ऐसी प्रत्येक दशा में, जिसमें और उस सीमा तक जिस तक स्वयं मूल प्रविष्टि ग्राह्य है, उसमें अभिलिखित विषयों, संव्यवहारों और लेखाओं के साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाएगा ।

27. रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के शेयरों और डिबेंचरों से संबंधित लिखतों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण से छूट—भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (ग) की कोई भी बात—

(1) किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के शेयरों से सम्बन्धित किसी लिखत को इस बात के होते हुए भी लागू नहीं होगी कि ऐसी सोसाइटी की आस्तियां पूर्णतः या अंशतः स्थावर सम्पत्ति से मिलकर बनी है; अथवा

(2) ऐसी किसी सोसाइटी द्वारा जारी किए गए डिबेंचर को, जो किसी स्थावर सम्पत्ति में, कोई अधिकार, हक या हित सृजित, घोषित, समनुदेशित, यदि सीमित या निर्वापित नहीं करता है, उसी विस्तार तक लागू होगी, जहां तक कि वह किसी ऐसी रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा, जिसके आधार पर सोसाइटी ने अपनी सम्पूर्ण स्थावर सम्पत्ति या उसका कोई भाग या उसमें कोई हित, न्यासियों को ऐसे डिबेंचरधारकों के फायदे के लिए, न्यास पर, बन्धक रख दिया है, हस्तान्तरित कर दिया है या अन्यथा अन्तरित कर दिया है, धारक को प्राप्त होने वाली प्रतिभूति के लिए हकदार बनाती है; अथवा

(3) ऐसी सोसाइटी द्वारा जारी किए गए किसी डिबेंचर पर किसी पृष्ठांकन या उस डिबेंचर के अन्तरण को लागू नहीं होगी ।

28. आय-कर, स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस से छूट देने की शक्ति—[1][(1)] केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना[2] द्वारा, किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के वर्ग की दशा में, [3]*** सोसाइटी को हुए लाभों पर या सोसाइटी के सदस्यों को लाभों के कारण प्राप्त लाभांशों या अन्य संदायों पर संदेय आय-कर से छूट दे सकेगी ।

[4]* * * * *

[5][(2) [6][सरकार,] किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों के वर्ग की दशा में, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा—

(क) उस स्टाम्प शुल्क से छूट दे सकेगी जिससे, उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी द्वारा या उसकी ओर से, या किसी अधिकारी या सदस्य द्वारा निष्पादित लिखतें, जो ऐसी सोसाइटी के कामकाज के संबंध में हों, या ऐसी लिखितों का कोई वर्ग प्रभार्य है; तथा

(ख) उस समय प्रवृत्त रजिस्ट्रीकरण विधि के अधीन संदेय किसी फीस से छूट दे सकेगी ।]

[7][इस उपधारा में, विनिमय-पत्रों, चेकों, वचनपत्रों, वहन पत्रों, प्रत्यय पत्रों, बीमा पालिसियों और [8][शेयरों, डिबेंचरों,] परोक्षियों और पावतियों के अन्तरण के बारे में स्टाम्प शुल्क के संबंध में, तथा [9][संविधान] की सप्तम् अनुसूची की सूची 1 की [10][प्रविष्टि सं० 96] के

[1] 1920 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 तथा अनुसूची 1, भाग 1 द्वारा धारा 28 को उसकी उपधारा (1) के रूप पुनःसंख्यांकित किया गया ।
यह सम्पूर्ण अधिनियम—
(क) धारा 28 की उपधारा (1) के सिवाय, और
(ख) धारा 28 की उपधारा (2) के सिवाय, जहां तक उसका सम्बन्ध उसके दूसरे पैरा में विनिर्दिष्ट स्टाम्प शुल्कों से है, बंगाल में बंगाल कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1940 (1940 का बंगाल अधिनियम सं० 21) की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा,
निरसित किया गया ।

[2] इस धारा के अधीन अधिसूचनाओं के लिए, भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1914, भाग 1, पृष्ठ 994 देखिए ।

[3] 1920 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 तथा अनुसूची 1, भाग 1 द्वारा अक्षर तथा कोष्ठक "(क)" का लोप किया गया ।

[4] 1920 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 तथा अनुसूची 1, भाग 1 द्वारा खंड (ख) और (ग) का लोप किया गया ।

[5] 1920 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 तथा अनुसूची 1, भाग 1 द्वारा जोड़ा गया ।

[6] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय शासन" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[7] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा जोड़ा गया ।

[8] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा अन्तःस्थापित ।

[9] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, 1935" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[10] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "मद 59" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

अन्तर्गत आने वाले किसी स्टाम्प शुल्क के संबंध में, "सरकार" से केन्द्रीय सरकार, और यथापूर्वोक्त के सिवाय[1] राज्य सरकार, अभिप्रेत है ।]

रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की सम्पत्ति और निधियां

29. उधारों पर निर्बन्धन—(1) रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, सदस्य से भिन्न किसी व्यक्ति को उधार नहीं देगीः

परन्तु रजिस्ट्रार की साधारण या विशेष मंजूरी से कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी को उधार दे सकेगी ।

(2) रजिस्ट्रार की मंजूरी के सिवाय, असीमित दायित्व वाली सोसाइटी जंगम सम्पत्ति की प्रतिभूति पर धन उधार नहीं देगी ।

(3) राज्य सरकार, किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी या किसी वर्ग की रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों द्वारा स्थावर सम्पत्ति के बंधक पर धन उधार देना, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित कर सकेगी ।

30. उधार लेने पर निर्बन्धन—कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी उन व्यक्तियों से, जो सदस्य नहीं हैं, निक्षेप और उधार केवल उसी सीमा तक और ऐसी शर्तों पर प्राप्त केरगी, जो नियमों या उपविधियों द्वारा विहित किए जाएं ।

31. गैर-सदस्यों के साथ अन्य संव्यवहारों पर निर्बन्धन—धारा 29 और 30 में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी का सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों के साथ संव्यवहार ऐसे प्रतिषेधों और निर्बंधनों के, यदि कोई हों, अध्यधीन होगा जो राज्य सरकार नियमों द्वारा विहित करे ।

32. निधियों का विनिधान—(1) रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अपनी निधि को—

(क) सरकारी बचत बैंक में, अथवा

(ख) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) की धारा 20 में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में से किसी में, अथवा

(ग) किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के शेयरों में या उसकी प्रतिभूति पर, अथवा

(घ) किसी बैंक के पास या बैंककारी कारबार करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति के पास, जो रजिस्ट्रार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित हो, अथवा

(ङ) नियमों द्वारा अनुज्ञात किसी अन्य ढंग से,

विनिहित या जमा कर सकेगी ।

(2) इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले किए गए कोई विनिधान या निक्षेप, जो तब विधिमान्य होते जब यह अधिनियम प्रवृत्त रहा होता, इसके द्वारा अनुसमर्थित और पुष्ट किए जाते हैं ।

33. निधियों का लाभ के रूप में विभाजित न किया जाना—रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की निधियों का कोई भाग, उसके सदस्यों में बोनस या लाभांश के रूप में या अन्यथा विभाजित नहीं किया जाएगाः

परन्तु किसी वर्ष में शुद्ध लाभों का कम से कम एक-चौथाई भाग आरक्षित निधि में जमा करने के पश्चात् ऐसे लाभों के अवशेष में से तथा वितरण के लिए उपबन्ध गत वर्षों के किन्हीं लाभों में से सदस्यों के बीच संदाय उस सीमा तक और ऐसी शर्तों पर की जा सकेगी जो नियमों या उपविधियों द्वारा विहित की जाएं:

परन्तु यह और कि असीमित दायित्व वाली सोसाइटी की दशा में, राज्य सरकार के इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश के बिना लाभों का कोई वितरण नहीं किया जाएगा ।

34. पूर्त प्रयोजन के लिए अभिदाय—कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, रजिस्ट्रार की मंजूरी से, शुद्ध लाभों का एक-चौथाई भाग किसी वर्ष में आरक्षित निधि में जमा करने के पश्चात्, अवशिष्ट शुद्ध लाभों की दस प्रतिशत से अनधिक रकम का अभिदाय पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 2 में यथापरिभाषित किसी पूर्त प्रयोजन के लिए कर सकेगी ।

कार्य निरीक्षण

35. रजिस्ट्रार द्वारा जांच—(1) रजिस्ट्रार किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के गठन, कार्यकरण और वित्तीय स्थिति के बारे में स्वप्रेरणा से जांच कर सकेगा, तथा कलक्टर के अनुरोध पर या समिति के सदस्यों की बहुसंख्या के, अथवा कम से कम एक-तिहाई सदस्यों के आवेदन पर ऐसी जांच करेगा या इस निमित्त लिखित आदेश देकर अपने द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को जांच करने का निदेश दे सकेगा ।

[1] यू०पी० में अन्तःस्थापित धारा 28क के लिए, कोआपरेटिव सोसाइटिज (यू०पी०अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1944 (1944 का यू०पी० अधिनियम सं० 1), जैसा कि वह यू०पी० एक्सपायरिंग लाज कन्टिनुएन्स ऐक्ट, 1948 (1948 का यू०पी० अधिनियम सं० 13) द्वारा प्रवृत्त रखा गया है, देखिए ।

IndiaCode

(2) सोसाइटी के सभी अधिकारी और सदस्य सोसाइटी के कार्यों के बारे में ऐसी जानकारी देंगे जिसकी अपेक्षा रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति करे ।

36. ऋणी सोसाइटी की बहियों का निरीक्षण—(1) रजिस्ट्रार, किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के किसी लेनदार के आवेदन पर, सोसाइटी की बहियों का निरीक्षण करेगा अथवा अपने द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को इस निमित्त लिखित आदेश देकर निरीक्षण करने का निदेश देगाः

परन्तु यह तब जब—

(क) आवेदक रजिस्ट्रार का समाधान कर देता है कि ऋण ऐसी राशि है जो उस समय शोध्य है, तथा उसने उसके संदाय की मांग की है और युक्तियुक्त समय के भीतर उसकी तुष्टि नहीं हुई है; तथा

(ख) आवेदक, प्रस्थापित निरीक्षण के खर्चे के लिए प्रतिभूति के रूप में इतनी रकम रजिस्ट्रार के पास जमा कर देता है, जितनी की अपेक्षा रजिस्ट्रार करे ।

(2) रजिस्ट्रार ऐसे किसी निरीक्षण के परिणाम लेनदार को संसूचित करेगा ।

37. जांच के खर्चे—जहां धारा 35 के अधीन कोई जांच की जाती है, या धारा 36 के अधीन कोई निरीक्षण किया जाता है वहां, रजिस्ट्रार खर्चे या खर्चों का उतना भाग, जितना वह ठीक समझे, सोसाइटी, सदस्यों अथवा जांच या निरीक्षण की मांग करने वाले लेनदारों तथा सोसाइटी के अधिकारियों या भूतपूर्व अधिकारियों के बीच प्रभाजित कर सकेगा ।

38. खर्चों की वसूली—धारा 37 के अधीन खर्चे के रूप में अधिनिर्णीत कोई रकम, उस स्थान में जहां वह व्यक्ति, जिससे धन का दावा किया जा सकता है, वस्तुतः और स्वेच्छया निवास करता है या कारबार करता है, अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को आवेदन करने पर, उस मजिस्ट्रेट की अधिकारिता की सीमाओं के भीतर उस व्यक्ति की किसी जंगम सम्पत्ति को करस्थम् और विक्रय द्वारा वसूल की जा सकेगी ।

सोसाइटी का विघटन

39. विघटन—(1) यदि धारा 35 के अधीन कोई जांच हो जाने के पश्चात्, अथवा धारा 36 के अधीन निरीक्षण कर लिए जाने के पश्चात्, अथवा किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के तीन-चौथाई सदस्यों द्वारा किए गए आवेदन पर, रजिस्ट्रार की यह राय है कि सोसाइटी का विघटन किया जाना चाहिए तो वह सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा ।

(2) किसी सोसाइटी का कोई सदस्य, उपधारा (1) के अधीन दिए गए किसी आदेश की तारीख से दो मास के भीतर, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा ।

(3) जहां सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने वाले आदेश के किए जाने से दो माम के भीतर कोई अपील प्रस्तुत नहीं की जाती है वहां आदेश उस अवधि की समाप्ति पर प्रभावी होगा ।

(4) जहां दो मास के भीतर अपील प्रस्तुत की जाती है वहां, आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उसे अपील प्राधिकारी द्वारा पुष्ट नहीं कर दिया जाता ।

(5) वह प्राधिकारी, जिसको इस धारा के अधीन अपीलें की जा सकेंगी, राज्य सरकार होगीः

परन्तु राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि अपीलें ऐसे राजस्व प्राधिकारी को होंगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

40. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना—जहां किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण की यह शर्त है कि उसके कम से कम दस सदस्य होने चाहिएं, वहां रजिस्ट्रार, लिखित आदेश द्वारा, सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा, यदि किसी भी समय उसके समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि सदस्यों की संख्या घटकर दस से कम रह गई है ।

41. रजिस्ट्रीकरण के रद्द किए जाने का प्रभाव—जहां किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया जाता है वहां सोसाइटी—

(क) धारा 39 उपबन्धों के अनुसार रद्द किए जाने की दशा में, उस तारीख से, जिसको रद्द करने से सम्बन्धित आदेश प्रभावी होता है;

(ख) धारा 40 के उपबन्धों के अनुसार रद्द किए जाने की दशा में, आदेश की तारीख से,

निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रह जाएगी ।

42. परिसमापन—(1) जहां किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण धारा 39 या धारा 40 के अधीन रद्द किया जाता है वहां रजिस्ट्रार किसी सक्षम व्यक्ति को सोसाइटी का समापक नियुक्त कर सकेगा ।

[1][(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त समापक को निम्नलिखित की शक्ति होगी—

(क) सोसाइटी की ओर से अपने पदनाम से वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां संस्थित करने और उनकी प्रतिरक्षा करने की;

(ख) सोसाइटी की आस्तियों में सोसाइटी के सदस्यों और भूतपूर्व सदस्यों द्वारा किए जाने वाले अभिदाय का अवधारण करने की;

(ग) सोसाइटी के विरुद्ध सभी दावों का अन्वेषण करने और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, दावेदारों के बीच उत्पन्न होने वाले पूर्विकता के प्रश्नों का विनिश्चय करने की;

(घ) यह अवधारण करने की कि किन व्यक्तियों द्वारा और किन अनुपातों में समापन के खर्चे वहन किए जाएंगे; और

(ङ) सोसाइटी की आस्तियों के संग्रहण और वितरण के बारे में ऐसे निदेश देने की जो सोसाइटी के कार्यकलाप के समापन के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों ।]

(3) किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, इस धारा के अधीन नियुक्त समापक को, साक्षियों को समन करने और उनको हाजिर कराने, तथा दस्तावेजों को उन्हीं साधनों से और (जहां तक हो सके) उसी रीति से, जिसका उपबन्ध सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय की दशा में किया गया है, पेश करने के लिए विवश करने की शक्ति होगी जहां तक ऐसी शक्तियां इस धारा के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों ।

(4) जहां समापक द्वारा इस धारा के अधीन दिए गए किसी आदेश से इन नियमों द्वारा अपील का उपबन्ध किया गया हो वहां वह जिला न्यायाधीश के न्यायालय में होगी ।[2]

[3](5) इस धारा के अधीन दिए गए आदेश, आवेदन किए जाने पर, निम्नलिखित रूप में प्रवर्तित किए जाएंगेः—

(क) जब आदेश समापक द्वारा किए गए हों तब स्थानीय अधिकारिता रखने वाले किसी सिविल न्यायालय द्वारा उस रीति से, जिसे ऐसे न्यायालय की डिक्री प्रवर्तित की जाती है;

(ख) जब आदेश अपील पर जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा किए गए हों तब उस रीति से, जिससे कि उस न्यायालय में लम्बित किसी वाद में दी गई ऐसे न्यायालय की डिक्री प्रवर्तित की जाती है ।

(6) इसमें इसके पूर्व जैसा अव्यक्त रूप से उपबन्धित है उसके सिवाय, सिविल न्यायालय को किसी ऐसे मामले में कोई अधिकारिता नहीं होगी जो इस अधिनियम के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के विघटन से सम्बन्धित हो ।[4]

नियम

43. नियम—(1) राज्य सरकार, सम्पूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए, तथा किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी या ऐसी सोसाइटियों के किसी वर्ग के लिए इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम[5] बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम—

(क) धारा 5 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सोसाइटी के शेयरों की अधिकतम संख्या या पूंजी का वह प्रभाग विहित कर सकेंगे जो कोई सदस्य धारण कर सकता है;

(ख) सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में प्रयोग में लाए जाने वाले प्ररूप और अनुपालन की जाने वाली शर्तें, तथा ऐसे आवेदन के विषय में प्रक्रिया, विहित कर सकेंगे;

(ग) वे विषय, जिनके बारे में सोसाइटी उपविधियां बना सकेगी या बनाएगी, तथा उपविधियां बनाने, परिवर्तित करने और उनका निराकरण करने के लिए तथा ऐसे बनाने, परिवर्तन और निराकरण के पूर्व पूरी की जाने वाली शर्तों के लिए अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया, विहित कर सकेंगे;

[1] यह उपधारा मध्य प्रान्त और बरार को लागू होने के सम्बन्ध में सी०पी० एण्ड बरार कोआपरेटिव सोसाइटिज अमेंडमेंट एण्ड लिक्विडेटर्स आर्डर्स वैलिडेशन ऐक्ट, 1945 (1945 का मध्य प्रान्त और बरार अधिनियम सं० 10) द्वारा, जैसा कि वह सी०पी० एण्ड बरार एक्सपायरिंग लाज़ कन्टिनुएन्स एण्ड अमेंडिंग ऐक्ट, 1947 (1947 का मध्य प्रान्त और बरार अधिनियम सं० 48) द्वारा प्रवृत्त रखा गया था, संशोधित की गई है ।

[2] उपधारा (4क) के लिए, जो यू०पी० को लागू होती है, कोआपरेटिव सोसाइटीज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1919 (1919 का यू०पी० अधिनियम सं० 3) देखिए ।

[3] यह उपधारा यू०पी० को लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरित की गई है, कोआपरेटिव सोसाइटीज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1919 (1919 का यू०पी० अधिनियम सं० 3) देखिए ।

[4] मध्य प्रान्त में अन्तःस्थापित धारा 42क के लिए कोआपरिटेव सोसाइटीज (सी०पी० अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1930 (1930 का मध्य प्रान्त अधिनियम सं० 7) देखिए । मध्य प्रान्त और बरार में अन्तःस्थापित धारा 42ख और 42ग के लिए, निम्नलिखित अधिनियम, जैसे कि वे 1947 के माध्य प्रान्त और बरार अधिनियम सं० 48 द्वारा प्रवृत्त रखे गए हैं, देखिएः—

1. सी०पी० एण्ड बरार कोआपरेटिव सोसाइटीज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1940 (1940 का मध्य प्रान्त और बरार अधिनियम सं० 5) ।
2. सी०पी० एण्ड बरार कोआपरेटिव सोसाइटीज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1941 (1941 का यू०पी० अधिनियम सं० 6); और
3. सी०पी० एण्ड बरार कोआपरेटिव अमेंडमेंट एण्ड लिक्विडेटर्स आर्डर्स वैलिडेशन ऐक्ट, 1945 (1945 का मध्य प्रान्त और बरार अधिनियम सं० 10) ।

[5] नियमों के लिए विभिन्न स्थानीय नियम और आदेश देखिए ।

(घ) सदस्यों के रूप में प्रवेश के लिए, आवेदन करने वाले, या प्रविष्ट किए गए, व्यक्तियों द्वारा अनुपालित की जाने वाली शर्तें विहित कर सकेंगे, तथा सदस्यों के लिए निर्वाचन और प्रवेश के लिए, तथा सदस्यता के अधिकार का प्रयोग करने के लिए पहले किए जाने वाले संदाय और प्राप्त किए जाने वाले ब्याज के लिए, उपबन्ध कर सकेंगे;

(ङ) वह रीति विनियमित कर सकेंगे जिससे शेयरों या डिबेंचरों द्वारा, या अन्यथा, धन एकत्र किया जा सकेगा;

(च) सदस्यों के साधारण अधिवेशनों के लिए तथा ऐसे अधिवेशनों में प्रक्रिया के लिए तथा ऐसे अधिवेशनों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली शक्तियों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे;

(छ) समिति के सदस्यों, और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति, निलम्बन और हटाए जाने के लिए तथा समिति के अधिवेशनों में प्रक्रिया के लिए, तथा समिति और अन्य अधिकारियों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली शक्तियों और पालन किए जाने वाले कर्तव्यों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे;

(ज) सोसाइटी द्वारा रखे जाने वाले लेखे और बहियां विहित कर सकेंगे, तथा ऐसी लेखापरीक्षा और ऐसी लेखापरीक्षा के लिए, लिए जाने वाले प्रभारों के लिए, यदि कोई हों, तथा सोसाइटी की आस्तियों और दायित्वों को दर्शित करने वाले तुलनपत्र के नियतकालिक प्रकाशन के लिए, उपबन्ध कर सकेंगे;

(झ) सोसाइटी द्वारा रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां विहित कर सकेंगे तथा उन व्यक्तियों का, जिनके द्वारा, तथा उस प्ररूप का जिसमें ऐसी विवरणियां प्रस्तुत की जाएंगी, उपबन्ध कर सकेंगे;

(ञ) उस व्यक्ति का, जिसके द्वारा, और उस प्ररूप का, जिसमें, सोसाइटी की पुस्तकों की प्रविष्टियों की प्रतियां प्रमाणित की जा सकेंगी, उपबन्ध कर सकेंगे;

(ट) सदस्यों का रजिस्टर तैयार करने और रखने के लिए, तथा जहां सदस्यों का दायित्व शेयरों द्वारा सीमित है वहां शेयरों का रजिस्टर तैयार करने और रखने के लिए, उपबन्ध कर सकेंगे;

(ठ) यह उपबन्ध कर सकेंगे कि सोसाइटी के सदस्यों और भूतपूर्व सदस्यों अथवा किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य की मार्फत दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच अथवा किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य अथवा ऐसे दावा करने वाले व्यक्तियों तथा समिति या किसी अधिकारी के बीच सोसाइटी के कामकाज से सम्बन्धित कोई विवाद विनिश्चय के लिए रजिस्टर को निर्दिष्ट किया जाएगा, अथवा, यदि वह ऐसा निदेश दे तो, माध्यस्थम् के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा, तथा मध्यस्थ या मध्यस्थों के नियुक्त करने का ढंग, तथा रजिस्ट्रार या ऐसे मध्यस्थ या मध्यस्थों के समक्ष कार्यवाहियों में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया, तथा रजिस्ट्रार के विनिश्चय अथवा मध्यस्थों के पंचाटों के प्रवर्तन की प्रक्रिया विहित कर सकेंगे;

(ड) सदस्यों के प्रत्याहरण और निष्कासन के लिए तथा उन सदस्यों को, जो अपने को प्रत्याहृत करते हैं या निष्कासित कर दिए जाते हैं, किए जाने वाले संदायों के लिए यदि कोई हों, तथा भूतपूर्व सदस्यों के दायित्वों के लिए, उपबन्ध कर सकेंगे;

(ढ) उस ढंग का, जिससे मृत सदस्य के हित का मूल्य अभिनिश्चित किया जाएगा, तथा ऐसे व्यक्ति के, जिसे ऐसा हित दिया या अन्तरित किया जा सकेगा, नामनिर्देशन के लिए उपबन्ध कर सकेंगे;

(ण) किए जाने वाले संदाय तथा उधारों के लिए आवेदन करने वाले सदस्यों द्वारा अनुपालन की जाने वाली शर्तें, वह अवधि, जिसके लिए उधार दिए जा सकेंगे, तथा वह रकम, जो किसी सदस्य को उधार दी जा सकेगी, विहित कर सकेंगे;

(त) आरक्षित निधियां स्थापित करने और रखे रखने का तथा उन उद्देश्यों का, जिनमें ऐसी निधियां उपयोजित की जा सकेंगी, तथा सोसाइटी के नियंत्रणाधीन किन्हीं निधियों के विनिधान का उपबन्ध कर सकेंगे;

(थ) वह सीमा विहित कर सकेंगे, जिस तक सोसाइटी अपने सदस्यों की संख्या सीमित कर सकेगी;

(द) वे शर्तें विहित कर सकेंगे, जिन पर असीमित दायित्व वाली सोसाइटी के सदस्यों को लाभ वितरित किए जा सकेंगे तथा उस लाभांश की अधिकतम दर विहित कर सकेंगे जो सोसाइटियों द्वारा दिया जा सकेगा;

(ध) धारा 39 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, यह अवधारित कर सकेंगे कि किन मामलों में रजिस्ट्रार के आदेश से अपील की जा सकेगी, तथा ऐसी अपीलों के पेश करने और उनका निपटारा करने में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया विहित कर सकेंगे; और

(न) धारा 42 के अधीन नियुक्त समापक द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया तथा वे मामले विहित कर सकेंगे जिनमें ऐसे समापक के आदेश से अपील की जा सकगी ।

(3) राज्य सरकार ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, जैसी वह ठीक समझे, इस धारा के अधीन नियम बनाने की अपनी सभी शक्तियां या उनमें से किसी का प्रत्यायोजन किसी ऐसे प्राधिकारी को कर सकेगी, जो प्रत्यायोजन सम्बन्धी आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया है ।

(4) इस धारा द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति इस शर्त के अधीन है कि नियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाए जाएंगे ।

(5) इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम, राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और ऐसे प्रकाशन पर ऐसे प्रभावी होंगे मानो वे इस अधिनियम में अधिनियमित किए गए हों ।

[1][(6) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।]

प्रकीर्ण

44. सरकार को शोध्य राशियों की वसूली—(1) किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी से, या किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के किसी अधिकारी या सदस्य या भूतपूर्व सदस्य से उस रूप में सरकार को शोध्य सभी राशियां, धारा 37 के अधीन सरकार को अधिनिर्णीत किन्हीं खर्चों सहित, उसी रीति से वसूल की जा सकेंगी, जैसे भू-राजस्व की बकाया वसूल की जाती है ।

(2) किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी से सरकार को शोध्य तथा उपधारा (1) के अधीन वसूलीय राशियों की वसूली, प्रथमतः सोसाइटी की सम्पत्ति से, द्वितीयतः ऐसी सोसाइटी की दशा में, जिसके सदस्यों का दायित्व सीमित है, सदस्यों के दायित्व की सीमा तक, सदस्यों से; तृतीयतः अन्य सोसाइटियों की दशा में, सदस्यों से की जा सकेगी ।

45. रजिस्ट्रीकरण सम्बन्धी शर्तों से सोसाइटियों को छूट देने की शक्ति—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, प्रत्येक दशा में विशेष आदेश द्वारा, और ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, जिन्हें वह अधिरोपित करे, अधीन रहते हुए, किसी सोसाइटी को अधिनियम की रजिस्ट्रीकरण सम्बन्धी अपेक्षाओं में से किसी से छूट दे सकेगी ।

46. रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों को अधिनियम के उपबन्धों से छूट देने की शक्ति—राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी को इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी से छूट दे सकेगी या यह निदेश दे सकेगी कि ऐसे उपबन्ध उस सोसाइटी को ऐसे उपान्तरों के साथ लागू होंगे जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

47. "सहकारी" शब्द के प्रयोग का प्रतिषेध—(1) रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी से भिन्न कोई व्यक्ति, राज्य सरकार की मंजूरी के बिना, किसी ऐसे नाम या संक्षिप्त नाम से, जिसका कोई भाग "सहकारी" शब्द है, व्यापार नहीं करेगा और न ही कोई कारोबार करेगाः

परन्तु इस धारा की कोई बात किसी व्यक्ति, या उसके हित उत्तरवर्ती द्वारा, किसी ऐसे नाम या संक्षिप्त नाम के, जिससे उसने उस तारीख को, जिसको यह अधिनियम प्रवृत्त होता है, व्यापार या कारबार किया था, प्रयोग पर लागू नहीं होगी ।

(2) जो कोई इस धारा का उल्लंघन करेगा वह जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, तथा चालू रहने वाले अपराध की दशा में ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जब अपराध उसकी दोषसिद्धि के पश्चात् बना रहता है, पांच रुपए के अतिरिक्त जुर्माने से दंडनीय होगा ।

48. इंडियन कम्पनीज ऐक्ट, 1882 का लागू न होना—इंडियन कम्पनीज ऐक्ट, 1882[2] (1882 का 6) के उपबन्ध रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों को लागू नहीं होंगे ।

49. विद्यमान सोसाइटियों की व्यावृत्ति—इस समय विद्यमान प्रत्येक सोसाइटी, जो कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज ऐक्ट, 1904 (1904 का 10) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत समझी जाएगी तथा उसकी उपविधियां, जहां तक कि वे इस अधिनियम के अभिव्यक्त उपबन्धों से असंगत नहीं हैं, तब तक प्रवृत्त बनी रहेंगी, जब तक कि वे परिवर्तित या विखण्डित नहीं कर दी जातीं ।

50. [**निरसन ।**]—द्वितीय निरसन और संशोधन अधिनियम, 1914 (1914 का 17) की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा निरसित ।

———

[1] 1986 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-5-1986 से) अन्तःस्थापित ।

[2] अब कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) देखिए ।